

संख्या - शिक्षा - चम्बा (ई -1) बी -15-35/2010- 275
कार्यलय उप शिक्षा निदेशक (उच्च), चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक : चम्बा -176318 - 13th अप्रैल, 2022

सेवा में,


समस्त प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक
रा० व० मा०पा० / रा० उ० पा०
चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)

विषय :- सेवादारों की सेवानिवृत्ति बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकतर प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक इस कार्यलय को सेवादारों की सेवानिवृत्ति सम्बन्धी पत्राचार कर रहे हैं और अधिकतर सेवादार माननीय न्यायलय में सेवानिवृत्ति सम्बन्धी जा रहे हैं कि सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त की जाए के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (विनियम) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए (3)2/2013 -एल दिनांक 21.02.2018 के अनुसार जो अंशकालीन/ दैनिक भोगी दिनांक 10.05.2001 से पहले लगे हैं की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त होगी और जो दिनांक 10.05.2001के पश्चात लगे हुए हैं की सेवानिवृत्ति 58 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त होगी।

इस अधिसूचना के बारे में आपकी पाठशाला/ कार्यालय या आपके अधीन संगम पाठशाला में कार्यरत सेवादारों को भी अवगत नोट करवाएं।


उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)